

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/2932/2021

दिनांक : 21.12.2021

श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सिरोही को दिनांक 08.12.2021 से 09.12.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री आचार्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सिरोही के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/37/2013/ 9064

दिनांक : 21.12.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सिरोही को उनके पत्रांक 70 दिनांक 10.12.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सिरोही ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही ।

सहायक रजिस्ट्रार